

03 जिम्मेदार नागरिकता की ओर

l økxke dsvkuUn fudsru eaukxfjd ‘kkL= dh f’k{kk

सुषमा शर्मा

कक्षा में प्रवेश करते ही मुझे पाँचवीं कक्षा के बच्चों ने आ घेरा, “दीदी, हम आपसे कुछ जरूरी बात करना चाहते हैं।” उनके चेहरों से उनकी आतुरता साफ झलक रही थी। “कहो, क्या बात है?” मैंने पूछा। इस पर वे बोले, “हम लोग, पी.टी. टीचर के साथ, संघर्ष के आज सुबह के व्यवहार से खुश नहीं हैं। दीदी के साथ उसका व्यवहार बुरा और अपमानजनक था। हमारा मानना है कि उसे तुरन्त दीदी से माफी माँगनी चाहिए।”

सबने अपनी पीड़ा व्यक्त की। मैंने जानने की कोशिश की कि असल में सुबह हुआ क्या था और पाया कि सातवीं कक्षा का छात्र संघर्ष अपनी ही कक्षा के अपने दो अन्य मित्रों के साथ शनिवार की सुबह का साप्ताहिक शारीरिक व्यायाम न तो मन से कर रहा था और न ही समूह में अपना कोई सहयोग दे रहा था। मुझे बताया गया कि शारीरिक शिक्षा की अध्यापक, डिम्पल ने जब उससे कहा कि वह या तो समूह में रहे या अगर वह उसमें भाग नहीं लेना चाहता तो समूह से बाहर चला जाए। लेकिन वे तीनों माने नहीं और समूह में ही बने रहे। जब भी टीचर की नजर उन पर नहीं होती तो वे आपस में ही मस्ती करने लगते (उनके पास शायद व्यायाम से ज्यादा रोचक कोई चीज थी करने को)। कुछ देर तक तो टीचर यह सब सहती रहीं, लेकिन फिर उनकी यह उद्दण्डता खत्म न होते देख गुस्से में आकर उन्होंने संघर्ष को एक चाँटा जड़ दिया। निश्चय ही, स्कूल में ऐसी कोई बात आम न होने के चलते, संघर्ष ने अपमानित महसूस किया और पलटकर बोला कि वे उसे इस तरह मार नहीं सकतीं। वैसे अपमान तो साफ झलक रहा था, पर संघर्ष की वंचित पृष्ठभूमि में उस उद्वेलित शिक्षिका के थप्पड़ की तुलना में उससे उपजी पीड़ा शायद कहीं ज्यादा निचाट दीख रही थी; संघर्ष के पिता की नशे की लत ने उसके परिवार को हिंसा की गर्त में धकेल दिया था। डॉ. अम्बेडकर और गाँधी की शिक्षा के साथ–साथ बाल–अधिकारों से भी परिचित रहने के चलते वह एक ऐसा निडर, बुद्धिमान और संवेदनशील बच्चा बन गया था, जो कभी–कभार जबर्दस्त भावनात्मक उद्विग्नता व्यक्त करने लगता। सो बच्चों की इच्छानुसार, सारे अध्यापकों के साथ कक्षा पाँच, छह और सात की बैठक बुलाई गई और यह मसला विचारार्थ प्रस्तुत हुआ। मुद्दा यह नहीं था कि किसने किसका पक्ष लिया, लेकिन निश्चित ही उनकी सहानुभूति टीचर की तरफ थी, क्योंकि उन सबका सोचना था कि विद्यार्थी अगर किसी गतिविधि का महत्व न समझें और उसमें अपना सहयोग न दें तो विद्यार्थियों की एक बड़ी संख्या को व्यवस्थित रख पाना मुश्किल हो जाएगा। उनके मुताबिक दीदी के थप्पड़ की तुलना में संघर्ष का आचरण कुछ ज्यादा ही अशिष्ट था। बातचीत तीन घण्टे से भी ज्यादा चली और इस दौरान तरह–तरह के सवाल खड़े हुए और उन पर विचार–विमर्श हुआ, जैसे –

1. क्या अध्यापिका का बर्ताव ठीक था? क्या उन्हें यह पता नहीं था कि बच्चे को थप्पड़ मारना, बच्चे को काम की अहमियत समझाने का एक अच्छा तरीका नहीं है? किस बात के चलते उन्हें अपने विद्यार्थी को थप्पड़ लगाना पड़ा? ऐसे में, थप्पड़ का विकल्प भला क्या हो सकता था? इस मुद्दे पर उनकी अपनी राय क्या है?

2. क्या संघर्ष का आचरण सही था? किस चीज ने उसे ऐसा व्यवहार करने के लिए उकसाया? वह ऐसी क्या बात थी जिसके चलते उसका मन इस काम (शारीरिक व्यायाम) में बिलकुल भी नहीं लग रहा था? ऐसे में, संघर्ष के लिए खुद को व्यक्त करने का और कौन–सा बेहतर तरीका हो सकता था? इस मुद्दे पर वह क्या सोचता है?

3. एक गतिविधि के बतौर हमें शारीरिक व्यायाम रखना भी चाहिए कि नहीं? इसके क्या फायदे और नुकसान हैं? क्या हमें अपनी इस या अन्य किसी भी स्कूली गतिविधि को अनिवार्य कर देना चाहिए? कौन–कौन–सी गतिविधियाँ अनिवार्य होनी चाहिए और कौन–सी वैकल्पिक, और क्यों?
4. किसी काम का महत्व समझने के बावजूद यदि किसी दिन, किसी विद्यार्थी का का मन उस काम में नहीं लग रहा है और वह विद्यार्थी उस दिन वह काम नहीं करना चाहे तो? ऐसी परिस्थितियाँ कब हो सकती हैं? ऐसी स्थिति का सामना शिक्षक और वह विद्यार्थी किस तरह से करते हैं?
5. ऐसे में दूसरों के सामने अपनी स्थिति को बिना किसी डर या झिझक के व्यक्त करने के कौन–कौन–से स्वीकार्य तरीके हो सकते हैं?
6. स्वतंत्रता क्या होती है? मनमानी और आजादी के बीच क्या अन्तर होता है? क्या हम इस तरीके से काम करने के लिए स्वतंत्र हैं जिससे दूसरों को असुविधा होती हो?
7. जब–तब हम नकारात्मक व्यवहार क्यों करते हैं? क्या इससे कुछ भला होता है? तो फिर व्यवहार के बेहतर तरीके क्या हैं? सवाल–जवाब के दौरान, जान–बूझकर लिया गया एक अल्प विराम भी भला कैसे तमीज से पेश में आने में हमारी मदद करता है?
8. किसी व्यक्ति के लिए क्या अनुशासन जरूरी है? यदि हाँ तो किस तरह का अनुशासन बेहतर होगा – अन्दर से प्रेरित या बाहर से थोपा जाने वाला? अनुशासन की प्रक्रिया क्या बच्चों के लिए अलग होती है और शिक्षकों या बड़ों के लिए अलग?
9. ऐसी अप्रिय घटना होने पर वहाँ उपस्थित अन्य लोगों की भूमिका भला क्या हो सकती है?
10. एक स्कूल के बतौर, भविष्य में हम क्या कर सकते हैं?

इस सारी बातचीत के बात यह समझ बनी कि हरेक को एक प्रकार की परस्पर–सहमति बनाते हुए आगे बढ़ना चाहिए। संघर्ष अपने किए को लेकर बहुत दुखी था। उसने बताया कि चीजें उसके या उसकी इच्छा के अनुसार न होने पर कई बार वह अपना आपा खो बैठता है। उधर दीदी को भी अपने अधैर्य को लेकर पछतावा था और उन्होंने महसूस किया कि वे स्थिति को बेहतर तरीके से सम्हाल सकती थीं। अन्य सारे बच्चे इस सारी बातचीत को लेकर सन्तुष्ट थे और अध्यापक समूह भी संघर्ष के आचरण को लेकर अपनी आशंकाओं से मुक्ति पा सका। बातचीत में यह भी तय हुआ कि (उन सामान्य कारणों के अलावा जिनके चलते बच्चों को वैसे भी आराम करने की अनुमति दी जाती है) कोई बच्चा अगर अच्छी तरह से सोच लेने के बाद किसी गतिविधि विशेष में भाग लेना नहीं चाहता तो उसे तब तक ऐसा करने की अनुमति दी जानी चाहिए जब तक कि उस गतिविधि में उसके भाग लेने की जरूरत फिर से न महसूस हो। लेकिन, ऐसा होने पर, उस बच्चे को अपनी पसन्द की अन्य कोई गतिविधि चुननी चाहिए और उसे दूसरे लोगों को किसी प्रकार की कोई भी असुविधा नहीं पहुँचानी चाहिए। कुछ समय बीत जाने के बाद, वह बच्चा अपने पुराने निर्णय पर फिर से विचार कर सकता है। तिस पर भी, सब लोग इस बात पर तो सर्व–सम्मत थे कि (केवल स्वास्थ्य सम्बन्धी कारणों या अन्य किसी सामूहिक रूप से स्वीकार्य कारण को छोड़) साफ–सफाई के कामकाज से किसी को भी कोई छूट नहीं दी जानी चाहिए, कारण कि व्यक्तिगत विकास के लिहाज से इसे बहुत महत्वपूर्ण माना गया।

उपरोक्त समूचा प्रसंग, स्कूली कार्य को लोकतांत्रिक बनाने की हमारी तमाम कोशिशों का एक हिस्सा है। दरअसल, स्कूल एक छोटा समाज है जहाँ सबको कुछेक निश्चित नियमों का पालन करना होता है। अधिकांश स्कूल नियम बनाते हैं और वहाँ बच्चों से उन नियमों का पालन करवाया जाता है। किसी नियम का उल्लंघन होने पर बच्चों को सुने बिना ही दण्डित कर दिया जाता है, जबकि प्रसंग विशेष में नियम न पालन करने सम्बन्धी बच्चों का कारण उचित भी

हो सकता था। विशिष्ट नियमों के निहित कारणों पर भी कोई बातचीत नहीं की जाती। नागरिकशास्त्र एक महत्वपूर्ण विषय है जिसके जरिए हम बच्चों को इस तरह शिक्षित करते हैं कि आगे चलकर वे एक लोकतांत्रिक समाज के जिम्मेदार नागरिक बन सकें। इस प्रकार, जो लोग भी हमारे यहाँ शिक्षा से जुड़े हैं उनके लिए यह महत्वपूर्ण हो जाता है कि वे हमारे बच्चों के लिए ऐसी स्थितियाँ पैदा करें जिनके चलते वे अपनी इन नागरिक भूमिकाओं के हिसाब से तैयार हों। बच्चों के लिए 'सामाजिक गणतंत्र' जैसी अवधारणाओं का अभिप्राय समझना बड़ा जरूरी है। उन्हें अपने सामाजिक सन्दर्भों में निम्नलिखित संवैधानिक मूल्यों को समझना और उन्हें विश्लेषित करते भी आना चाहिए और इनकी जरूरत भी महसूस होनी चाहिए –

1. न्याय – सामाजिक, आर्थिक व राजनैतिक
2. स्वतंत्रता – विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास और धर्म की
3. समानता, समता – सामाजिक स्तर और अवसर की

बच्चों के लिए 'एकता' और 'अखण्डता' के अर्थ समझना भी जरूरी है। फिर, 'राष्ट्र' व 'देश' के बीच के फर्क को समझना भी उनके लिए जरूरी है; ताकि वे उन सामाजिक–राजनैतिक प्रक्रियाओं को समझ सकें जो लोगों के बीच एकता की भावना का पोषण करती हैं और जो घृणा की कीमत पर केवल भौगोलिक सीमाओं को ही महत्व देती हैं। हमारे बच्चों के लिए अपनी सम्पन्न सांस्कृतिक विविधता की परम्पराओं की विश्लेषणात्मक समझ जितनी जरूरी है, उतना ही जरूरी है उसी क्षण, उनमें निहित सांस्कृतिक भेदभाव को समझना भी, ताकि अपने अन्दर वे उन अच्छी प्रवृत्तियों का पोषण कर सकें, जिनके आधार पर दैनिक जीवन के फैसले करने में उन्हें आसानी हो। हमारे लिए यह भी एक महत्वपूर्ण चुनौती है कि हम अपने बच्चों को इस बात का अवसर दें कि वे हमारे सामाजिक वातावरण, हमारी आस्थाओं और हमारे व्यवहारों को प्रभावित करने वाली नई उभरती सामाजिक–सांस्कृतिक और आर्थिक प्रक्रियाओं को समझ–बूझ सकें।

हम वयस्क/शिक्षक जितना सोचते हैं, चीजों को विश्लेषित करने की योग्यता बच्चों में उससे कहीं अधिक होती है। उनकी क्षमताओं को कम आँकने की सबसे बड़ी वजह तो हमारी अपनी ही तैयारी की कमी होती है। इसके लिए हमें यह समझना होगा कि बच्चे खुद अपनी अवधारणाएँ बनाते हैं और इसीलिए हमें शिक्षण की अपनी बैंकिंग पद्धति छोड़कर कोई ऐसी विधि अपनानी होगी जिसमें उन्हें खुद करके देखने, अन्वेषण और सोचने का तथा अपने आसपास की दुनिया को गुनने–समझने का अवसर मिले। आसपास की प्राकृतिक और सामाजिक दुनिया और उनमें हो रही घटनाएँ एक बच्चे के लिए सीखने के अनन्त अवसर उपलब्ध कराती हैं। जरूरत है इस बात की कि हम शिक्षकगण सूचना–आधारित मानक पाठ्य–पुस्तकों पर अपनी अति–निर्भरता त्यागें। वैसे भी ये मानकीकृत पाठ्य–पुस्तकें मोटे तौर पर एक खास वर्ग व संस्कृति के हितों की परवाह ही करती आई हैं। स्कूल की खुली हवा में बच्चे खुद ही ऐसी अनेक चीजों का संज्ञान लेते हैं जो आगे की जाँच–पड़ताल और मार्ग–प्रदर्शन के प्रवेश–बिन्दु बन सकती हैं और इसके चलते ज्ञानार्जन की प्रक्रिया ज्यादा भागीदारीपूर्ण बन जाती है। स्थानीय से राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के समाचारों, सम्बद्ध आँकड़ों के संचयन, विभिन्न मसलों पर अनेक प्रकार के दृष्टिकोणों को सुनने व उनका इस्तेमाल करने, विचार–विमर्श आदि से बच्चों को अपने विचार और मत बनाने में मदद मिलती है। इस सबको सम्भव बनाने के लिए खुद अध्यापक का एक जिज्ञासु अध्येता होना निहायत जरूरी है। इसके लिए संवाद व अनुसन्धान की संस्कृति को विकसित और परिष्कृत करना होगा। यह तभी सम्भव है जब शिक्षक के मन में बच्चे के प्रति एक गहरा सम्मान व प्रेमभाव हो। इसी तरह की तैयारी के बूते ही, लोकतांत्रिक तरीके से बच्चों के साथ सहज भाव से रहा जा सकता है।

इसी तारतम्य में मुझे याद है आ रहा है कि कोई एक साल पहले चौथी कक्षा के विद्यार्थी मेरे पास आए। वे भ्रष्टाचार के खिलाफ एक स्कूल रैली का आयोजन करना चाहते थे। अन्ना हजारे के देशव्यापी आन्दोलन के चलते उनकी यह इच्छा उपजी थी। बच्चों की इस पहलकदमी को भ्रष्टाचार

की गम्भीरता को समझने के एक अवसर के बतौर लिया गया। स्कूल मीटिंग में जब इस प्रस्ताव को रखा गया तो चौथी कक्षा से लेकर सातवीं कक्षा तक के सारे बच्चों ने इसके प्रति अपनी सकारात्मक प्रतिक्रिया जताई। एक छोटी रैली तो हमने निकाली, लेकिन एक कठोर कवायद के बाद। वाद–विवाद के बाद, "अन्ना आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं," जैसे पके–पकाए नारों की शुरुआती सूची के बदले "मेहनत से खाएँगे, भ्रष्टाचार से लड़ेंगे" जैसे स्वनिर्मित और स्वचालित नारे उपयोग में लाए गए। गणतंत्र का ढाँचा और उसकी कार्यशैली को समझना भी इस प्रक्रिया का एक अंग बने। सड़कों पर गाए जाने वाले गीतों का चयन, बैनर बनाने, पुलिस की अनुमति लेने जैसे कामों में बच्चों को बड़ा मजा आया। इस प्रसंग के चलते बच्चों को इस बात का एहसास हुआ कि एक ओर जहाँ नागरिकों को सरकार के कामकाज को लेकर सचेत रहना चाहिए, वहीं दूसरी ओर उन्हें स्वानुशासित रहने की भी जरूरत होती है। यह सुनिश्चित किया जाना भी जरूरी है कि केवल जानकारी इकट्ठा करना और उसे समझना ही काफी नहीं है। उनकी क्षमता का आकलन करने के बाद ही बच्चों को कोई काम करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए वर्ना सारी कवायद महज एक कोरी कामना बनकर रह जाती है जिसमें हर कोई इसी प्रतीक्षा में रहा आता है कि कोई तो होगा जो आकर काम शुरू करेगा।



रैली : भ्रष्टाचार के विरोध में

भारत में शारीरिक श्रम को हेय दृष्टि से देखा जाता रहा है। चिन्तन–शक्ति को जरूरत से ज्यादा महत्व देने के साथ–साथ सफेदपोश नौकरी की आकांक्षा सदियों से एक भारतीय विशिष्टता रही आई है। नतीजतन, एक प्रकार के सामाजिक असन्तुलन की स्थिति बन गई है जिसमें अमीरों और गरीबों के बीच एक बड़ी खाई है। इसके चलते हम, किसानों, शिल्पियों और सेवाकर्मियों से बने समाज के एक बड़े तबके की सृजनात्मक ऊर्जाओं और उनके योगदान का अवमूल्यन करने लगे हैं। पारम्परिक ज्ञान के प्रति इस उपेक्षाभाव के चलते हमारा नुकसान भी बहुत हुआ है, कारण कि हमारी स्कूली शिक्षा किताबी, घिसी–पिटी, शुष्क व कल्पनाहीन है जिसके नतीजतन बड़े पैमाने पर हम भारतीय कौशलहीन हो चले हैं। सफेदपोश नौकरियाँ करने वाले लोगों का रवैया लापरवाह और दम्भपूर्ण हो चला है। इन प्रवृत्तियों से निपटने के लिए आनन्द निकेतन के पास 3Hs का फॉर्मूला है – हैण्ड (हाथ), हेड (दिमाग) और हार्ट (दिल), जैसा कि व्यक्ति के समग्र विकास के लिहाज से गाँधीजी का सिद्धान्त था। प्रचलित मुख्यधारा स्कूलों में पढ़ाए जाने वाले सामान्य विषयों के साथ–साथ, बागवानी, पाककला, वस्त्रकला (कताई, कढ़ाई, सिलाई, ब्लॉक प्रिन्टिंग आदि), कला व संगीत, मिट्टी कार्य, साफ–सफाई, साधारण मशीनों की मरम्मत और उनके रख–रखाव जैसी बुनियादी अनुभवजन्य शिक्षा न सिर्फ बच्चों के व्यावहारिक कौशल और उनकी बुद्धिमत्ता का विकास करने में सहायक होती है, बल्कि उन्हें अपने आसपास की दुनिया और उसकी जटिलताओं को समझने के अवसर भी प्रदान करती है। निश्चित ही इन शैक्षणिक विशिष्टताओं ने 'स्वराज' का अर्थ कुछ हद तक तो समझने में अध्यापकों व विद्यार्थियों की मदद की है।



मिट्टी के क्षरण का अध्ययन



सब्जियों की क्यारियों की देखभाल



करो और सीखो



__सुषमा,__ सेवाग्राम, महाराष्ट्र स्थित आनन्द निकेतन विद्यालय की प्राचार्य हैं। यह स्कूल गाँधीवादी दर्शन से प्रेरित है। तीन से तेरह वर्ष तक के बच्चों की शिक्षा के लिए आनन्द स्कूल की शुरुआत 2005 में हुई थी। गाँधी आश्रम के परिसर में स्थित आनन्द निकेतन एक मोहल्ला स्कूल है जहाँ आज 170 बच्चे पढ़ते हैं। मानवशास्त्र में एम.एससी और प्रारम्भिक शिक्षा में एम.ए. की शैक्षिक पृष्ठभूमि के साथ सुषमा जी पिछले 25 सालों से शिक्षा के क्षेत्र में कार्यरत हैं। उनसे sushama.anwda@gmail.com *पर सम्पर्क किया जा सकता है। __अनुवाद__ : मनोहर नोतानी*